निर्णय बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद

जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 261 / 2011 तारीख दायरा 22.05.2011

उनवान

1. सलीमुद्धीन उर्फ अब्दुल सलीम आयु 55 साल वल्द श्री रमजानी जाति मुसलमान निवासी नगर निगम कॉलोनी के पीछे, नाले के पास कोटडी कोटा जिला कोटा।
2. मुसम्मात उर्फ मुन्नी आयु 50 साल दुख्तर श्री रमजानी जोजे श्री आरीफ हुसैन जाति मुसलमान निवासी सराय मौहल्ला, कुम्हारों की चक्की के पास ग्राम मण्डाना, उप तहसील मण्डाना, तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

— वादीगण

बनाम

1. कुर्बान अली (दिल्लीवाला) वल्द श्री रमजानी जाति मुसलमान निवासी सराय मौहल्ला, ग्राम मण्डाना, उपतहसील मण्डाना, तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. मुसम्मात फातमा बैगम दुख्तर श्री रमजानी जोजे श्री नन्नेखां जाति मुसलमान निवासी नगर निगम कॉलोनी के पीछे, नाले के पास कोटडी कोटा जिला कोटा।
3. श्रीमती जन्नत बानों दुख्तर श्री रमजानी जोजे श्री फकरूद्धीन जाति मुसलमान निवासी नगर निगम कॉलोनी के पीछे, चौहान चौक सरकारी नल के पास, कोटडी कोटा।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा ।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :— दिनांक :— 02.08.2022

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील वादीगण)

श्री महेश कुमार तिवारी (वकील प्रतिवादी)

Signature Not Verified
Digitally Signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:29 IST
Reason: Certified Attested

— निर्णय —

1

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतियादी कम 1 लगायत 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज खसरा नं0 160/185 रकया 0.48 हैक्टर, खसरा नं0 161 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नं0 165 रकया 0.45 हैक्टर, खसरा नं0 167 रकया 0.40 हैक्टर कुल किता 4 की 2.43 हैक्टर आराजी माल ग्राम धीराहेडी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। वादी व प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 का सजरा–ए–खानदान वादपत्र में अंकित है। वादपत्र की में वर्णित आराजी के साबिक खसरा नं0 80 रकया 15 बीघा है जो पूर्व में वादीगण की माता मुसलम्मात बिस्मिल्ला को राज्य सरकार द्वारा आंवटित की गई है तथा वादपत्र में वर्णित उक्त आराजी पूर्वखातेदारा मुसम्मात बिस्मिल्ला की मौत के बाद प्रचलित मुस्लिम विधि के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 को विरासत में प्राप्त हुई। चूंकि वादीगण व प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 मुस्लिम विधि से शासित है। मुस्लिम विधि के प्रावधानों के अनुसार पूर्वखातेदारा मुसम्मात बिस्मिल्ला की मौत के बाद वादग्रस्त आराजी में उनके दोनों पुत्रों का 7/8 हिस्सा व तीनों पुत्रियों को 1/8 हिस्सा विरासत में प्राप्त हुआ किन्तु राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने वादीगण की माता मुसम्मात बिस्मिल्ला की मौत के बाद उनके फौती इन्तकाल में वादीगण व प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 का नाम तो दर्ज कर दिया किन्तु सहखातेदारान का पृथक–पृथक हिस्सा अंकित नहीं किया जबकि राजस्व कर्मचारियों, अधिकारियों को राजस्व रिकार्ड में उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था तथा राजस्व रिकार्ड में किया गया उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन वादीगण के काश्तकारी अधिकारों के विपरीत प्रारम्भ से ही शून्य व बैअसर है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच काफी अर्से पूर्व आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन हो गया था जिसके अनुसार रास्ते से पूर्व में लगवा की करीब 6.5 बीघा आराजी वादी कम 1 के हिस्से व कब्जे में व इसी से संलग्न करीब 1/2 बीघा भूमि वादी कम 2 के हिस्से कब्जे में तथा उसके बाद करीब 1/2 बीघा भूमि प्रतिवादी कम 2 व 1/2 बीघा भूमि प्रतिवादी कम 3 के हिस्से व कब्जे में व पीछे की शेष भूमि प्रतिवादी कम 1 हिस्से व कब्जे की आराजी है कि[illegible] कम 1, 2, 3 राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक हिस्सा दर्ज नहीं हो[illegible] के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं होने से अपने हक, हिस्से व कब्जे से अधिक भूमि को बैचान करने को अमादा है जबकि प्रतिवादी कम 1, 2, 3 अपने हिस्से व कब्जे की भूमि से अधिक भूमि को बैचान करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है। साथ ही पारिवारिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

विभाजन में वादी कम 1 को प्राप्त उसके हिस्से व कब्जे काश्त की रास्ते से पूर्व में लगवा की 6.5 बीघा आराजी व उससे लगवा वादी कम 2 की 1/2 बीघा आराजी को बेचान करने का कोई अधिकर नहीं है। वैसे भी मौके के विभाजनानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद नहीं होने तक प्रतिवादीगण को दिशा विशेष या अपने विधिक हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त संबंध में वादीगण ने दिनांक 20.03.2011 को प्रतिवादी कम 1, 2, 3 से राजस्व रिकार्ड की त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो उन्होंने वादीगण के हिस्से व कब्जेकाश्त में आयी रास्ते से संलग्न की आराजी व राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दर्ज नहीं होने से अपने हिस्से व हक से अधिक भूमि को अवैध रूप से अन्य व्यक्ति को विकय करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण अवैधानिक रूप से गैरकानूनी अन्तरण कर देते हैं तो वादीगण को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी परिस्थितियों में मुस्लिम विधि के अनुसार पक्षकार के पृथक–पृथक हिस्से की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा के लिए माननीय न्यायालय में यह वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादपत्र माननीय न्यायालय में पेष कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी पारित फरमायी जावें कि :–

माल ग्राम धीराहेडी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नं0 160/185 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नं0 161 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नं0 165 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नं0 167 रकबा 0.40 हैक्टर कुल किता 4 की 2.43 हैक्टर आराजी में प्रचलित मुस्लिम विधि के अनुसार वादी का 7/16 हिस्सा, वादी कम 2 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी कम 1 की 7/16 हिस्सा, प्रतिवादी कम 2 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी कम 3 का 1/24 हिस्सा घोषित किया जावे तथा उक्त पारिवारिक विभाजनानुसार वादीगण व प्रतिवादी कम 1, 2, 3 के मध्य विधिवत विभाजन करते हुए राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार पृथक–पृथक खाते अंकित किया जावें। पारिवारिक विभाजन में वादी कम 1 के हिस्से व कब्जेकाश्त में प्राप्त [illegible] में लगवा की 6.5 बीघा आराजी व उससे लगवा वादी [illegible] की 1/2 बीघा आराजी में वादीगण के [illegible] में किसी प्रकार [illegible] दखल–बेजामहत, क्षति, शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त, उपयोग–उपभोग [illegible] न तो प्रतिवादीगण [illegible] स्वयं करें न ही अपने नौकरों, एजेन्टों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण ... नुकसान इत्यादि नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी की तलबी हो चुकी है। प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर वाद पत्र में अंकित तथ्यों पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की तथा वाद पत्र के अनुसार वाद निर्णय की प्रार्थना की। प्रकरण में पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों, राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबंदी एवं जवाब सरकार का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने एवं बहस वादी सुनने के बाद वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दिनांक 29.08.2011 को प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार सांगोद को रेवेन्यू नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके उपरान्त अप्रार्थी जन्नत द्वारा निर्णय दिनांक 29.08.2011 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर ग्राम धीराहेडी की 2.43 है. विवादित भूमि में कुर्बान अली एवं अब्दुल सलीम प्रत्येक को 2/7–2/7 हिस्से का तथा फातमा बेगम, जन्नत एवं मुमताज प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्से का खातेदार घोषित कर तहसीलदार सांगोद को रेवेन्यू नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार सांगोद द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार किया जाकर उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद वादीगण स्वीकृत कर आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम धीराहेडी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नं0 160/185 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नं0 161 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नं0 165 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नं0 167 रकबा 0.40 हैक्टर कुल किता 4 की 2.43 हैक्टर आराजी में प्रतिवादी सं.1 कुर्बान अली एवं वादी सं.1 अब्दुल सलीम प्रत्येक को 2/7–2/7 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 2 फातमा बेगम, प्रतिवादी सं.3 जन्नत एवं वादी सं.2 मुमताज प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में नजरी नक्शे अनुसार खातों का विभाजन कर राजलगान पृथक से अंकित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

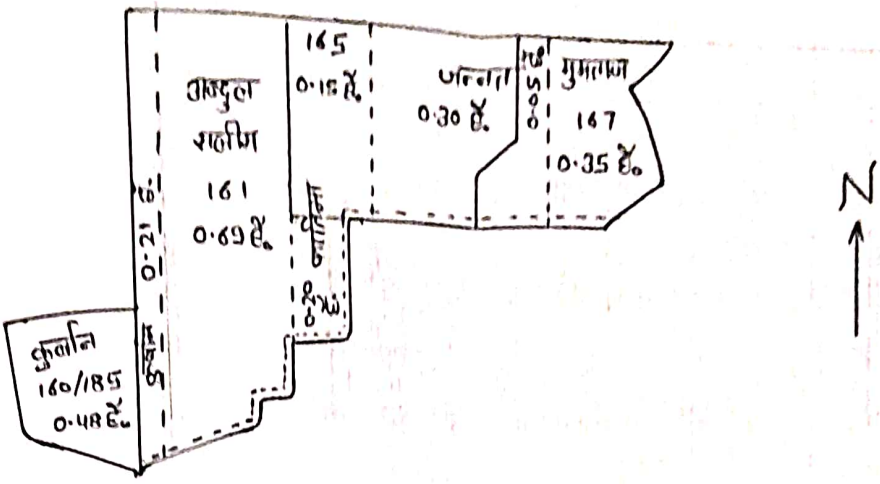

नजरी नक्शा

विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
सांगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 02.08.2022को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
सांगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:29 IST
Reason: SelfAttested

फार्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 261 / 2011

तारीख दायरा 22.05.2011

उनवान

1. सलीमुद्दीन उर्फ अब्दुल सलीम आयु 55 साल वल्द श्री रमजानी जाति मुसलमान निवासी नगर निगम कॉलोनी के पीछे, नाले के पास कोटडी कोटा जिला कोटा।
2. मुसम्मात उर्फ मुन्नी आयु 50 साल दुख्तर श्री रमजानी जोजे श्री आरीफ हुसैन जाति मुसलमान निवासी सराय मौहल्ला, कुम्हारों की चक्की के पास ग्राम मण्डाना, उप तहसील मण्डाना, तहसील लाडपुरा जिला कोटा। — वादीगण

वनाम

1. कुर्बान अली (दिल्लीवाला) वल्द श्री रमजानी जाति मुसलमान निवासी सराय मौहल्ला, ग्राम मण्डाना, उपतहसील मण्डाना, तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. मुसम्मात फातमा बैगम दुख्तर श्री रमजानी जोजे श्री नन्नेखां जाति मुसलमान निवासी नगर निगम कॉलोनी के पीछे, नाले के पास कोटडी कोटा जिला कोटा।
3. श्रीमती जन्नत बानों दुख्तर श्री रमजानी जोजे श्री फकरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी नगर निगम कॉलोनी के पीछे, चौहान चौक सरकारी नल के पास, कोटडी कोटा। — प्रतिवादीगण
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा ।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर. टी. एक्ट 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:29 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :- दिनांक :- 02.08.2022

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील वादीगण)

श्री महेश कुमार तिवारी (वकील प्रतिवादीगण)

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री दिनेश कुमार गौतम मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

माल ग्राम धीराहेडी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नं0 160/185 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नं0 161 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नं0 165 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नं0 167 रकबा 0.40 हैक्टर कुल किता 4 की 2.43 हैक्टर आराजी में प्रतिवादी सं.1 कुर्बान अली एवं वादी सं.1 अब्दुल सलीम प्रत्येक को 2/7–2/7 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 2 फातमा बेगम, प्रतिवादी सं.3 जन्नत एवं वादी सं.2 मुमताज प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में नजरी नक्शे अनुसार खातों का विभाजन कर राजलगान पृथक से अंकित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

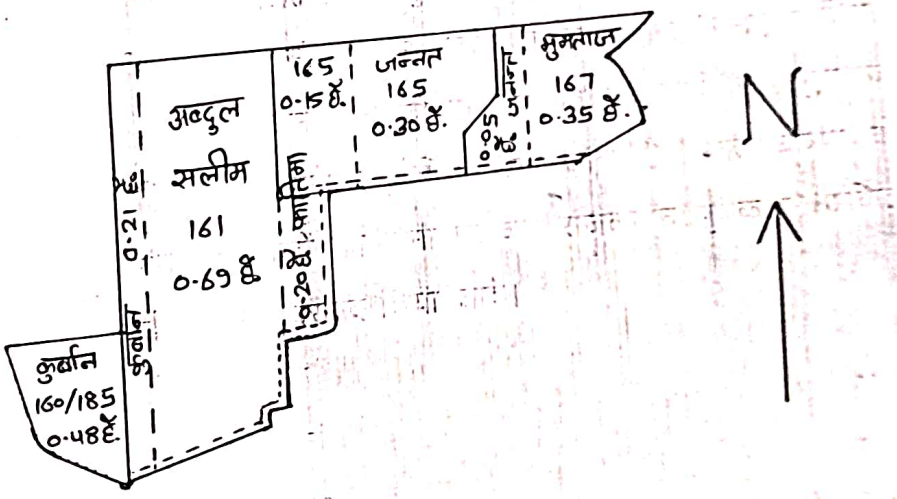

नजरी नक्शा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोट

विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:29 IST
Reason: SelfAttested